संख्या- 83 /2023 / 347 /चार-2023-28(बजट)/12

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3621/सं0नि0-6(30)/11-12 दिनांक 30 जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 195.00 लाख (रू0 एक करोड़ पिचानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

3 - प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-84//3201/चार-2015-28(बजट)/12, दिनांक 28 अगस्त, 2015, शासनादेश संख्या-138/2016/1109/चार-2016-28(बजट)/12, दिनांक 03 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-25/2018/239/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 07 मार्च, 2018 , शासनादेश संख्या-07/2019/3865/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 19 जनवरी, 2019, शासनादेश संख्या-129/2020/1283/चार-2020-28(बजट)/12, दिनांक 10 अक्टूबर, 2020, शासनादेश संख्या-72/2021/680/चार-2021-28 (बजट) /12, दिनांक 23 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या- 128/2021/1195/चार-2021-28(बजट)/12, दिनांक 26 जुलाई, 2021 तथा शासनादेश संख्या- 164/2022/ 1687/चार-2022-28(बजट)/12, दिनांक 18 अगस्त, 2022 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4 - उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-09-भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र -24 वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचत में से रू0 195.00 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-08-आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण-24 बृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 83 / 2023 / 347 (1) /चार-2023- 28(बजट)/12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सी0 एंड डी0 एस0 (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
6- महाप्रबंधक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एंड डी0एस0 (उ0 प्र0 जल निगम) लखनऊ/ परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट आजमगढ़।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A004-20222023-347-Char-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048000900 (भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	1,95,00,000 रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र	1,95,00,000 रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र	6,55,00,000 रुपये छह करोड़ पचपन लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 1,95,00,000	₹ 1,95,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048000800 (आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	1,95,00,000 रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र	1,95,00,000 रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र	4,95,00,000 रुपये चार करोड़ पंचानबे लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 1,95,00,000	₹ 1,95,00,000		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3621/सं0नि0-6(30)/11-12 दिनांक 30 जनवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 195.00 लाख (रू0 एक करोड़ पिचानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

3 - प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

1. शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-84//3201/चार-2015-28(बजट)/12, दिनांक 28 अगस्त, 2015, शासनादेश संख्या-138/2016/1109/चार-2016-28(बजट)/12, दिनांक 03 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-25/2018/239/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 07 मार्च, 2018 , शासनादेश संख्या-07/2019/3865/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 19 जनवरी, 2019, शासनादेश संख्या-129/2020/1283/चार-2020-28(बजट)/12, दिनांक 10 अक्टूबर, 2020, शासनादेश संख्या-72/2021/680/चार-2021-28 (बजट) /12, दिनांक 23 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या-128/2021/1195/चार-2021-28(बजट)/12, दिनांक 26 जुलाई, 2021 तथा शासनादेश संख्या- 164/2022/ 1687/चार-2022-28(बजट)/12, दिनांक 18 अगस्त, 2022 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4 - उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-09-भारत रत्न डॉ0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र -24 वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचत में से रू0 195.00 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-08- आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण-24 बृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:RE-budget-1-387-E-7-296-X-2022-23-दिनांक:27-02-2023

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

संख्या - 83 / 2023 / 347 (1) /चार-2023- 28(बजट)/12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सी0 एंड डी0 एस0 (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
6. महाप्रबंधक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एंड डी0एस0 (उ0 प्र0 जल निगम) लखनऊ/ परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट आजमगढ़।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।